

No. HQ/PIO/RTI/87/15

Dt: 03.03.2015

Sh. Prasant Jain,

S/o Sh. Mohit Kumar Jain,
49-A, Saket,
Meerut.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: 1. Your application dt. 14.11.2015, received in this office on 11.02.2015.
2. Your application dt. 14.11.2015, received from Northern Railway on 20.02.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्नलिखित है:-

- मद 1:- रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित संरेखण (एलाइनमेंट) में ग्राम कुण्डा तहसील मेरठ (सदर) नहीं आता है।
- मद 2:- जिन भू-स्वामियों का मुआवजा लंबित है वे अपर जिलाधिकारी, भू.अ.(सं.सं.), मेरठ कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
- मद 3:- संशोधन की स्थिति में अर्जित भूमि, जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित कर दिया गया है। सूचना अधिकार नियम में केवल सूचना देने का ही प्रावधान है, स्पष्टिकरण देने का प्रावधान नहीं है।


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:-

1. APIO, Centralized RTI Cell, /HQ/NR, Headquarter Office, Baroda House, New Delhi - In Reference to your letter No. RTI Cell/Law/480/2015 dt. 12.02.2015.
2. CPM/Meerut

प्रेषण
DISPATCH
313